शासकीय महाविद्यालय दीपका, जिला –कोरबा (छ.ग.)

स्थापना वर्ष - 2008

सा विद्या या विमुक्तये

बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर छ.ग.
(से संबद्ध)

विवरणिका एवं प्रवेश आवेदन पत्र
वर्ष : 2018-19
संकाय - कला/वाणिज्य/विज्ञान

E-mail : deepkacollege@gmail.com
Website : www.governmentcollegedipka.com

प्राचार्य

महाविद्यालयीन परिवार

वार्षिकोत्सव में उपस्थित सम्मानीय अतिथिगण

वार्षिकोत्सव एवं पुरूस्कार वितरण समारोह

महाविद्यालय में टेबलेट वितरण

महाविद्यालयीन पत्रिका ''युवा ज्योति'' का विमोचन

अनुक्रमणिका

01. महाविद्यालय का परिचय

02. उपलब्ध शैक्षणिक सुविधायें

03. उपलब्ध शैक्षणिकेत्तर सुविधायें

04. विद्यार्थियों के लिए आचरण संहिता

05. विद्यार्थियों के लिए आवश्यक निर्देश

06. विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारियाँ

07. शुल्क मुक्ति, सहायता निधि, छात्रवृत्ति

08. शुल्क विवरण

09. महाविद्यालयीन परिवार

10. कार्यालयीन परिवार

11. प्रवेश समिति - सत्र : 2018 - 2019

12. हेल्प डेस्क

13. शैक्षणिकेत्तर गतिविधियाँ / खेलकूद इत्यादि में भाग लेने हेतु आवेदन

14. प्रवेश हेतु आवेदन पत्र

वाहन चलाते समय हेलमेट जरूर लगायें ।

प्राचार्य का संदेश...

प्रिय अभिभावकगण एवं छात्र-छात्राएँ,

शासकीय महाविद्यालय दीपका में सत्र : 2018 - 2019 में प्रवेश लेने हेतु इच्छुक छात्र/छात्राओं को शुभकामनायें।

सत्र : 2018-2019 से छात्र/छात्राओं/अभिभावकों की सुविधा की दृष्टि से विवरणिका का प्रकाशन किया जा रहा है जिसमें महाविद्यालय से संबंधित समस्त शैक्षणिक/शैक्षणिकेत्तर हेतु महत्वपूर्ण जानकारी का समावेश करने का प्रयास किया गया है। जिससे छात्र/छात्राओं को प्रवेश लेने के समय एवं बाद में भी किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ प्रवेश आवेदन पत्र भी संलग्न है।

महाविद्यालय परिवार सीमित संसाधनों में भी छात्रहित में बेहतर से बेहतर शैक्षणिक/शैक्षणिकेत्तर कार्यों को करने के लिए निरन्तर प्रयासरत है एवं अन्य सुविधाओं को भी उपलब्ध कराने हेतु प्रयास जारी है।

महाविद्यालय के विकास में आप सबका सहयोग अपेक्षित है एवं इस हेतु सुझाव सादर आमंत्रित है।

धन्यवाद!

डॉ. (श्रीमती) शिखा शर्मा
प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय
दीपका - कोरबा (छ.ग.)

01. महाविद्यालय का परिचय

दीपका - पाली मार्ग के समीप स्थित ग्राम - झाबर में महाविद्यालय का नव-निर्मित भवन स्थित है तथा 19 जुलाई 2014 से इसी भवन में संचालित रहा है। महाविद्यालय की स्थापना सन् 2008 में हुई थी। स्थापना काल में यह महाविद्यालय उप-तहसील कार्यालय, दीपका के निकट स्थित पोस्ट मैट्रिक छात्रावास में संचालित था। अपने सीमित साधनों से नगर एवं नगर के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र-छात्राओं को बेहतर शैक्षणिक एवं शैक्षणिकेत्तर सुविधा प्रदान करते हुए आदिवासी क्षेत्र में उच्च शिक्षा के अधिकाधिक विकास हेतु महाविद्यालय सतत् प्रयत्नशील है।

स्थापना वर्ष से ही इस महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय की कक्षाएँ संचालित है। 2008 से 2012 तक यह महाविद्यालय गुरूघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से सम्बध्द रहा। सत्र 2012 - 13 से बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर से सम्बध्द है तथा महाविद्यालय को मार्च 2015 से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 2 (f) की सूची तथा नवम्बर 2015 से 12 (B) की सुची में शामिल किया गया है। वर्ष 2014-15 से ही बिलासपुर विश्वविद्यालय द्धारा इसे नियमित / स्वाधायी छात्र-छात्राओं हेतु परीक्षा केन्द्र घोषित किया गया है। महाविद्यालय में सत्र 2015-16 में जन भागीदारी समिति का भी गठन हुआ हैं।

ट्रेफिक नियमों का पालन करें ।

02. महाविद्यालय में शैक्षणिक सुविधाएँ...

(a) संचालित पाठ्यक्रम :-

बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) द्वारा संबंध्द एवं छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत निम्न कक्षाओं एवं विषयों में नियमित अध्ययन हेतु कक्षाएँ संचालित है।

महाविद्यालय में संचालित कक्षाएँ / विषय :-

क्र.	कक्षा	विषय	निर्धारित सीट
1.	स्नातक स्तर कला संकाय बी.ए. भाग - I, II, III	हिन्दी साहित्य, राजनीति शास्त्र, भूगोल, अंग्रेजी साहित्य, आधार पाठ्यक्रम (अनिवार्य) (कोई भी तीन ऐच्छिक विषय लिये जा सकते हैं)	60
2.	वाणिज्य संकाय बी. कॉम. भाग - I, II, III	सभी अनिवार्य विषय	60
3.	विज्ञान संकाय बी.एस सी. भाग - I, II, III गणित समूह -	भौतिक शास्त्र, गणित, रसायन शास्त्र, आधार पाठ्यक्रम	60
3.	विज्ञान संकाय बी.एस सी. भाग - I, II, III बायो समूह -	प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र, आधार पाठ्यक्रम	60

टीप :- (1) बी.ए., बी.कॉम, बी.एससी. प्रथम वर्ष हेतु पर्यावरण अध्ययन एवं मानवाधिकार अनिवार्य विषय है जिसमें 75 अंक सैध्दांतिक एवं 25 अंक की प्रायोगिक परीक्षा होगी।

(2) प्रायोगिक विषयों में स्वाधायी के रूप में शामिल होने के लिए उन्हें नियमानुसार अगस्त/सितम्बर माह में कैजुअल एडमिशन लेकर कम से कम तीन माह निरंतर प्रायोगिक कार्य करना होगा।

वाहन चलाते समय मोबाईल का उपयोग न करें ।

03 . वाणिज्य संकाय के विषय

(I) बी.कॉम. प्रथम वर्ष -

अनिवार्य विषय

(क) आधार पाठ्यक्रम - हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा

(ख) पर्यावरण अध्ययन एवं मानवाधिकार

(ग) तीन अनिवार्य समूह -

समूह प्रथम -	(1)	वित्तीय लेखांकन	(2)	व्यावसायिक गणित
समूह द्वितीय -	(1)	व्यावसायिक संचार	(2)	व्यावसायिक नियामक ढाँचा
समूह तृतीय -	(1)	व्यावसायिक पर्यावरण	(2)	व्यावसायिक अर्थशास्त्र

(II) बी.कॉम. द्वितीय वर्ष -

अनिवार्य विषय

(क) आधार पाठ्यक्रम - हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा

(ख) तीन अनिवार्य समूह -

समूह प्रथम :लेखांकन -	(1) निगमित लेखांकन	(2) लागत लेखांकन
समूह द्वितीय : व्यावसायिक प्रबंधन -	(1) व्यावसायिक प्रबंधन के सिध्दांत	(2) कम्पनी अधिनियम
समूह तृतीय : व्यावसायिक अर्थशास्त्र -	(1) व्यावसायिक सांख्यिकी	(2)उद्यमिता के सिध्दांत

(III) बी.कॉम. तृतीय वर्ष -

अनिवार्य विषय -(क) आधार पाठ्यक्रम - हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा

(ख) (1) आयकर (2) अप्रत्यक्षकर (3) प्रबंधकीय लेखांकन (4) अंकेक्षण

ऐच्छिक समूह : कोई एक ग्रुप का दोनों प्रश्न पत्र

ग्रुप - 'अ' वित्तीय क्षेत्र -	(1) वित्तीय प्रबंधन	(2) वित्तीय बाजार का सर्वेक्षण
ग्रुप - 'ब' विपणन क्षेत्र -	(1) विपणन का सिध्दांत	(2) अन्तर्राष्ट्रीय विपणन

04. शैक्षणिक सुविधाएँ

- ❖ महाविद्यालय में सभी विषयों एवं सभी कक्षाओं में नियमित रूप से अध्यापन एवं प्रायोगिक कार्य होता है।
- ❖ महाविद्यालय में सभी संकायों के छात्र - छात्राओं हेतु प्रोजेक्ट वर्क, सेमीनार का आयोजन किया जाता है।
- ❖ छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार मासिक टेस्ट, तिमाही, छ:माही, प्री-यूनिवर्सिटी परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जो कि सभी छात्र - छात्राओं के लिए अनिवार्य है।
- ❖ छात्र - छात्राओं के बौध्दिक विकास हेतु वाचनालय एवं ग्रंथालय उपलब्ध है जहाँ आवश्यकतानुसार समाचार पत्र प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी पत्रिका, पाठ्यक्रम संबंधी पुस्तकें उपलब्ध है।
- ❖ महाविद्यालय में INFLIBNET सुविधा उपलब्ध है जिससे छात्र-छात्रायें अपने INTERNET के माध्यम से विभिन्न पुस्तकों, शोधग्रंथों, संदर्भ ग्रंथों एवं आवश्यक जानकारी डाउनलोड कर सकते हैं। (वर्तमान में Wi-Fi सुविधा हेतु प्रयासरत है)
- ❖ छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग एवं बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर द्वारा जारी एकेडेमिक कलेण्डर के अनुसार ही समस्त कार्यों का क्रियान्वयन किया जाता है।

मनुष्य का वास्तविक पूँजी धन नहीं, विचार है ।

05. महाविद्यालय में शैक्षणिकेत्तर सुविधाएँ...

5(a) यूथ रेडक्रास सोसायटी

महाविद्यालय में यूथ रेडक्रास सोसायटी स्थापित है जिसके तहत निम्नकार्य संपादित किये जाते हैं -

(1) महाविद्यालय के समस्त छात्र - छात्राओं को रक्त वर्ग परीक्षण।

(2) महाविद्यालय में स्वास्थ्य परिचर्चा का आयोजन।

(3) स्वास्थ्य जागरूकता रैली एवं अन्य प्रयास।

(4) शासन के निर्देशानुसार अन्य आवश्यक कार्य।

5(b) राष्ट्रीय सेवा योजना

इस महाविद्यालय में सत्र 2014 - 2015 से राष्ट्रीय सेवा योजना की संयुक्त इकाई 100 छात्र - छात्राओं हेतु प्रारंभ की गई है।

''युवाओं का व्यक्तित्व का विकास, समाज सेवा के माध्यम से'' राष्ट्रीय सेवा योजना का मुख्य उद्‌देश्य है। इस योजना के निर्देशानुसार छात्र - छात्राओं से विभिन्न कार्यों का क्रियान्वयन किया जाता है।

5(c) खेलकूद सुविधाएँ

महाविद्यालय में अध्ययन के साथ-साथ छात्र - छात्राओं के शारीरिक विकास हेतु खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा नितांत आवश्यक है अत: महाविद्यालय का यह प्रयास रहा है कि वह अपने खिलाड़ियों को यथा संभव अधिकतम खेल सुविधा प्रदान कर सके।

महाविद्यालय द्वारा खिलाड़ियों को बैडमिंटन, कैरम, शतरंज, फुटबॉल, व्हॉलीबॉल, क्रिकेट, एथेलेटिक्स, कबड्डी आदि खेलों की सुविधा प्रदान की जाती है। महाविद्यालय में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है एवं विजेता खिलाड़ियों को पुरूस्कार एवं प्रमाण-पत्र वार्षिक स्नेह सम्मेलन के अवसर पर प्रदान किया जाता है।

5(d) क्लब गतिविधियाँ

छात्र - छात्राओं के व्यक्तित्व विकास एवं बौध्दिक विकास हेतु क्लब गतिविधियों में भाग लेना आवश्यक है। निम्न क्लब गतिविधियाँ महाविद्यालय में संचालित हैं :-

(अ) विज्ञान क्लब

(अ) समसामयिक क्लब

(अ) ज्ञान क्लब

(अ) पुस्तक वाचन क्लब

(अ) कम्प्यूटर क्लब

(अ) नाटक क्लब

5(e) सांस्कृतिक एवं साहित्यिक गतिविधियाँ

अकादमिक कलेण्डर के अनुसार वर्ष भर प्रत्येक शनिवार को विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, नैतिकता संबंधी व्याख्यान, वाद-विवाद प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, महापुरूषों की जयंती एवं पुण्यतिथि, विविध कला के अन्तर्गत रंगोली, पुष्प सज्जा, सलाद प्रतियोगिता, चित्रकला, केस सज्जा प्रतियोगिता आदि गतिविधियाँ संचालित की जाती है। उक्त गतिविधियों के संचालन हेतु महाविद्यालय स्तर पर विभिन्न समितियों का गठन किया जाता है एवं प्रथम, द्वितीय विजेता को वार्षिक स्नेह सम्मेलन में पुरस्कृत किया जाता है।

5(f) वृक्षारोपण

महाविद्यालय में छात्र - छात्राओं, प्राचार्य, प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों के द्वारा महाविद्यालय के बाहर एवं भीतर प्रतिवर्ष वृक्षारोपण, फूल - पौधे, इत्यादि लगाये जाते हैं। साथ ही सप्ताह में 01 दिन स्वच्छता अभियान के तहत साफ-सफाई की जाती है।

6(a) छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए आचार-संहिता

सामान्य नियम :-

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थियों को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरश: पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदारी होगा।

1. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होना चाहिए।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठयेत्तर गतिविधियों को भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।
3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार असंसदीय भाषा का प्रयोग गाली - गलौच, मारपीट या आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा।
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा।
5. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है, वह सरल निर्व्यसन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा।
6. महाविद्यालय की सीमाओं में किसी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन सर्वथा वर्जित है।
7. महाविद्यालय में इधर-उधर थूकना, दीवालों को गन्दा करना या गंदी बातें लिखना सख्त मना है। विद्यार्थी असामाजिक तथा अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
8. वह अपनी मांगों का प्रदर्शन, आंदोलन, हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा। विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिए राजनैतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा।
9. महाविद्यालय परिसर में मोबाईल का उपयोग पूर्ण प्रतिबन्धित है।
10. छात्र-छात्राओं को स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं मार्कशीट परिचय पत्र दिखाने पर स्वयं को अथवा अभिभावक को ही दिया जायेगा।

6(b) विश्वविद्यालयीन परीक्षा संबंधी नियम

बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा में कक्ष के अंदर केवल पेन एवं प्रश्नपत्र ही साथ रखें। परीक्षा केन्द्र के अंदर मोबाईल, पर्स, सांईटिफिक केल्कुलेटर, पुस्तक एवं अन्य किसी प्रकार के कागजात लाना सर्वथा वर्जित है।

बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) आयोजित मुख्य परीक्षा में निम्नलिखित कार्यों को दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है :-

01. अनुचित साधनों का उपयोग करना।
02. अनुचित साधन अपनाने के किसी परीक्षार्थी की सहायता करना।
03. परीक्षा कार्य में संलग्न व्यक्तियों को धमकाना अथवा हानि पहुँचाना।
04. परीक्षा परिसर में हथियार ले जाना।

उपरोक्त अपराधों के लिए निम्नलिखित दण्डों का प्रावधान किया गया है :-

(अ) तीन वर्ष का कारावास।
(ब) रूपये 500/- तक का जुर्माना या
(स) उपरोक्त दोनों दण्ड साथ-साथ तथा
(द) राज्य शासन की नौकरी के लिए अयोग्य घोषित किया जाना।

रैगिंग दण्डनीय अपराध है ।

07(a) छात्रों के लिए आवश्यक निर्देश

अध्ययन संबंधित नियम :-

1. प्रवेश विवरणिका का अध्ययन करें। समय सीमा में नियमानुसार आवेदन पत्र के साथ स्वहस्ताक्षरित आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर कार्यालय में जमा करें। प्रवेश सूची के नाम आने पर निर्धारित तिथि में प्रवेश लें।
2. प्रवेश प्राप्त करते ही परिचय पत्र, ग्रंथालय पत्रक बनाएँ।
3. महाविद्यालय में प्रतिदिन परिचय पत्र लेकर ही महाविद्यालय आवें।
4. महाविद्यालयीन गतिविधियों की समग्र जानकारी के लिए प्रतिदिन ग्रंथालय / एन.एस.एस. / क्रीड़ा / विज्ञान एवं सामान्य सूचना पटल का अवलोकन करें।
5. महाविद्यालयीन अनुशासन समिति एवं प्राचार्य द्वारा छात्र-छात्राओं की गतिविधियों पर ध्यान रखा जाता है अत: अपना काम अनुशासित तरीके से करें।
6. महाविद्यालयीन परिसर को स्वच्छ बनाएँ रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है।
7. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी का 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा वह एन.सी.सी./एन.एस.एस. में भी लागू होगी अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।
8. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा अर्ध्दवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है।
9. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करेगा। उनको स्वच्छ रखेगा।
10. ग्रंथालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करेगा, उसे निर्धारित संख्या में ही पुस्तकें प्राप्त होगी तथा समय से न लौटाने पर दण्ड देना होगा।
11. अध्ययन से संबंधित किसी भी कठिनाई के लिए गुरूजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।
12. व्याख्यान कक्षों, प्रयोग शालाओं या वाचनालय में पंखे, लाईट फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि का तोड़फोड़ करना दण्डात्मक आचरण माना जायेगा।
13. महाविद्यालय की सम्पत्ति (फर्नीचर/उपकरण/पुस्तकों) का नुकसान/टूट-फूट छात्रों के द्वारा होने पर नियमानुसार वसूल की जावेगी।
14. नियमित छात्र-छात्राएँ अपने साथ गैर महाविद्यानयीन व्यक्ति को अनावश्यक न लावें।
15. सत्र में एक/दो बार अभिभावकों की बैठक आयोजित की जावेगी जिसकी सूचना (समय/तिथि) अभिभावक को देने का उत्तरदायित्व छात्र की होगी।

07 (b) महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र :-

1. यदि छात्र अनैतिक मूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना प्रतिषेध अधिनियत 2011 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर अथवा रैगिंग के लिए प्रेरित करने पर पाँच साल तक कारावास की सजा या पाँच हजार रूपये जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
3. यदि विद्यार्थी समय - समय में शुल्क का भुगतान नहीं करता तो उसका प्रवेश निरस्त किया जायेगा।
4. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जायेगा।
5. महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में उसके पालक अभिभावक का घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और यह हस्ताक्षर प्रवेश समिति के सम्मुख करेंगे।

बेटी बचाओ, देश बचाओ ।

08. छात्र - छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण जानकारी

08 (a) विश्वविद्यालय संबंधी जानकारी :-

1. महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर स्वाध्यायी परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होने के लिए कक्षा एवं विषय । महाविद्यालय में जिस कक्षा एवं विषय का नियमित अध्ययन हो रहा है उन्हीं कक्षा एवं विषयों में स्वाध्यायी छात्र परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं । प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी के रूप में शामिल होने पर तीन माह तक निरंतर प्रायोगिक कार्य हेतु उपस्थित होना अनिवार्य है ।
2. विकलांग छात्रों को विश्वविद्यालयीन परीक्षा शुल्क से मुक्त रखा गया है । इस हेतु उन्हें शासन से जारी विकलांग प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा ।
3. विश्वविद्यालय के अध्यादेश के तहत कोई भी छात्र एक सत्र में दो परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकता ।
4. (अ) महाविद्यालय में प्रथम अवसर नियमित प्रवेश प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को विश्वविद्यालय में नामांकन आवेदन - पत्र कार्यालय से प्राप्त कर नामांकन फार्म भरकर प्रवेश आवेदन के साथ जमा करना होगा । सूचना पटल का अवलोकन करते रहें ।

   (ब) छ ीसगढ़ के बाहर के बोर्ड/विश्वविद्यालय से परीक्षा उ ीर्ण कर आये छात्र को महाविद्यालय में नियमित प्रवेश प्राप्त करने तथा स्वाधायी परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु प्रवजन प्रमाण पत्र एवं विश्व विद्यालय का अनुमति पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
5. बिलासपुर विश्वविद्यालय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ को वेबसाईड www.bilaspuruniversity.ac.in में भी प्राप्त कर सकते हैं एवं नियमित रूप से वेबसाईड का अवलोकन करते रहें -
   (i) प्रवेश संबंधी नियम ।
   (ii) विश्वविद्यालयीन नामांकन फार्म भरने की तिथि/शुल्क ।
   (iii) विश्वविद्यालयीन पूरक/वार्षिक परीक्षा के फार्म भरने संबंधी एवं शुल्क संबंधी जानकारी ।
   (iv) विश्वविद्यालयीन परीक्षा संबंधी समय सारिणी ।
   (v) विश्वविद्यालयीन परीक्षा परिणाम ।
   (vi) विश्वविद्यालयीन पूरक/वार्षिक परीक्षा का एडमिट कार्ड ।
   (vii) छात्रसंघ संबंधी आवश्यक जानकारी ।
   (viii) स्नातक स्नाकोत्तर स्तर के सभी कक्षाओं/विषयों के पाठ्यक्रम ।
   (ix) खेलकूद एवं अन्य गतिविधियों के संबंध में आवश्यक जानकारी ।
   (x) एंटीरैगिंग संबंधी नियम
6. महाविद्यालय स्तर की जानकारी महाविद्यालय की वेबसाइट www.governmentcollegedipka.com में

टीप - 1) प्रवेश सूची में नाम आने पर छात्र-छात्रायें अपने समस्त मूल दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों एवं 2 पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ सहित अपने अभिभावक सहित उपस्थित होवें ।

2) प्रवेश के दौरान रैगिंग के संबंध में शपथ पत्र अनिवार्य रूप से भरना होगा ।

3) बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा नकल पर दण्डित अवधि में प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।

4) किसी भी प्रकार के अपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण से संबंधित आवेदकों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।

08 (b) शुल्क मुक्ति, सहायता निधि, छात्रवृत्ति, शिष्यवृत्ति संबंधित जानकारी

1. अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र-छात्राओं के लिए महाविद्यालय में पूर्ण शुल्क मुक्ति की सुविधा उपलब्ध है, इस हेतु संलग्न प्रपत्र में तहसीलदार या उनसे उच्च किसी राजस्व अधिकारी द्वारा उस संवर्ग का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
2. छ.ग. शासन के अन्तर्गत कार्यरत, सेवा निवृ ा अथवा मृत शासकीय कर्मचारियों के पुत्र-पुत्रियों हेतु शुल्क मुक्ति। इस वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए पूर्ण मुक्ति की सुविधा उपलब्ध है। शुल्क मुक्ति की यह सुविधा उन छात्र-छात्राओं के लिए उपलब्ध है, जिनके पिता अथवा माता छ.ग. शासन के चतुर्थ श्रेणी, तृतीय श्रेणी अथवा द्वितीय श्रेणी के ऐसे कर्मचारी हैं। जिनका मूल वेतन 14500/- (चौधरी वेतनमान) से अधिक नहीं है, ऐसे छात्र-छात्राओं के निर्धारित संलग्न प्रपत्र में आवेदन करना चाहिए।
3. महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं के लिए स्नातक स्तर तक पूर्ण शुल्क मुक्ति की सुविधा उपलब्ध है।
4. सगे भाई हेतु शुल्क में रियायत (ब्रदर्स कन्सेशन) यदि महाविद्यालय में एक सत्र में सगे भाई अध्ययनरत हैं तो ऐसी स्थिति में कनिष्ठ भाई को शुल्क मुक्ति की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इस सुविधा हेतु भी कनिष्ठ भाई द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना चाहिए।
5. कृषकों के पुत्र के लिए आंशिक शुल्क की मुक्ति की व्यवस्था जिलाध्यक्ष द्वारा जारी वांछित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर कृषकों के पुत्र को आंशिक शुल्क मुक्ति की सुविधा है।
6. भूतपूर्व सैनिकों के पुत्र-पुत्रियों के लिए सामान्य शिक्षा के स्नातकोत्तर तक शैक्षणिक शुल्क जिसमें प्रायोगिक फीस भी सम्मिलित है कि मुक्ति की सुविधा प्राप्त है।
7. गरीबी रेखा एवं निर्धन छात्र हेतु छात्रवृत्ति की सुविधा।

नोट - छात्र-छात्राओं से अनुरोध है कि वे विभिन्न जानकारियों हेतु सूचना पटल का अवलोकन प्रतिदिन करें

08 (c) चेक लिस्ट

प्रवेश आवेदन पत्र में आवश्यक दस्तावेजों को चेक लिस्ट के अनुसार संलग्न करें :-

1. हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी स्कूल अंक-सूची की स्वअभिप्रमाणित प्रति-2
2. स्नातक भाग - I, II, या अन्य उत्तीर्ण परीक्षा की अंक-सूची की स्वअभिप्रमाणित प्रति-1
3. स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति-1
4. चरित्र प्रमाण पत्र स्वअभिप्रमाणित प्रति-1
5. प्रवजन (Migration) प्रमाण पत्र स्वअभिप्रमाणित प्रति-1
6. राज्य स्तरीय खेलकूद/एन.एस.एस./एन.सी.सी. प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति-1
7. विकलांग प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति-1
8. भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र स्वअभिप्रमाणित प्रति-1
9. सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित जाति प्रमाण, निवास प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति-1
10. सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित निवास प्रमाण पत्र स्वअभिप्रमाणित प्रति-1

स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत ।

09. प्रवेश शुल्क विवरण : 2018-19

क्र.	अशासकीय शुल्क	
01	छात्र कल्याण समिति प्रवेश शुल्क	03.00
02.	सम्मिलित निधि (30.00 महा.वि./गतिविधि/ साहित्य गतिविधि एवं 20.00 खेलकूद)	50.00
03.	सोशल गेदरिंग (स्नेह सम्मेलन)	50.00
04.	छात्र कामन रूम (वाचनालय)	10.00
05.	वाचनालय	10.00
	पी.डी. मद	
06.	महाविद्यालय विकास शुल्क	60.00
07.	चिकित्सा शुल्क	03.00
08.	शारीरिक कल्याण शुल्क 150/- मे से	150.00
	50/- वि.वि.	
09.	अवधान राशि	60.00
10.	वार्षिक पत्रिका शुल्क	40.00
11.	साईकिल स्टैंड	25.00
12.	आतंरिक परीक्षा शुल्क	35.00
13.	परिचय पत्र	40.00
14.	युथ रेडक्रास	25.00
15.	सम्मिलित निधि महाविद्यालय 2/- मे से	02.00
	1/- विवि	
16.	निर्धन छात्र कल्याण शुल्क	05.00
17.	नामांकन शुल्क	300.00
18.	ग्रंथालय शुल्क	20.00
19.	छात्र कल्याण शुल्क	10.00
20.	छात्रसंघ शुल्क 4/- मे से 1/- वि.वि.	04.00
21.	विज्ञान प्रयोगशाला शुल्क (भूगोल/विज्ञान)	20.00
	योग	**907.00**
1.	जनभागीदारी शुल्क	250.00
	योग	**250.00**
	शासकीय शुल्क	
1.	प्रवेश शुल्क	03.00
2.	लेखन सामग्री	05.00
3.	शिक्षण शुल्क	115.00
4.	प्रायोगिक शुल्क	20.00
	योग	**143.00**
	महायोग	**1300.00**

! अप्रवासन शुल्क 400/- (चार सौ रूपये) जहाँ लागू होगा वहीं लिया जायेगा।

! नामांकन शुल्क 300/- प्रथम वर्ष के छात्र-छात्राओं से ही लिया जायेगा।

! महाविद्यालय में प्रथम बार प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्राओं से ही 60/- अवधान राशि ली जावेगी।

! अनुसूचित जाति/जनजाति छात्र-छात्राओं एवं अन्य छात्राओं को शिक्षण शुल्क में नियमानुसार छूट प्राप्त होगी।

! जनभागिदारी समिति के गठन के पश्चात् जनभागिदारी शुल्क जमा किया जायेगा।

10 (a) महाविद्यालय शैक्षणिक परिवार

सत्र : 2018 - 2019

क्र.	पद	नाम	फोटो
01	प्राचार्य	डॉ. (श्रीमती) शिखा शर्मा	
02	सहायक प्राध्यापक वाणिज्य	श्रीमती ममता ठाकुर	
03	सहायक प्राध्यापक हिन्दी	डॉ. डेजी कुजूर	
04	सहायक प्राध्यापक अंग्रेजी	प्रो. आर.के. चौहान	
05	सहायक प्राध्यापक भौतिक शास्त्र	प्रो. जे.सी देवांगन	

प्रदूषण न करें, पॉलिथीन का प्रयोग कम करें ।

10 (b) महाविद्यालय कार्यालयीन परिवार

सत्र : 2018 - 2019

सहायक ग्रेड - 1
पद रिक्त

सहायक ग्रेड - 2
पद रिक्त

श्री धीरपाल सिंह कंवर
प्रयोगशाला तकनीशियन
भूगोल

श्री राजेन्द्र सिंह ओरके
प्रयोगशाला तकनीशियन
रसायन शास्त्र

श्री विवेक दिनकर
प्रयोगशाला परिचारक

श्री श्याम सुंदर साहु
प्रयोगशाला परिचारक

श्री आनंद कुम्भज
प्रयोगशाला परिचारक

श्री जयलाल कंवर
भृत्य

श्री शेषकुमार रजक
भृत्य

10 (C) जनभागीदारी समिति : एक परिचय

क्र.	नाम	पद	पता	मूल पद
01	श्री अनुप यादव पिता - श्री रेशम लाल यादव	अध्यक्ष	बी - 232, उर्जानगर दीपका, कोरबा (छ.ग.) मो. - 9826777763	उपाध्यक्ष नगर पालिका दीपका
02	डॉ.(श्रीमती) शिखा शर्मा	सचिव	शासकीय महाविद्यालय दीपका (अति प्रभार) मो. -	प्राचार्य शा.महा. दीपका
03	श्री रवि साहू पिता श्री रामनाथ साहू	सदस्य	बी. - 268, उर्जानगर दीपका, कोरबा छ.ग. मो. - 9074222220	सांसद प्रतिनिधि
04	श्री रोहित जायसवाल पिता श्री यूप नारायण	सदस्य	दीपका बस्ती दीपका, कोरबा छ.ग. मो. - 9826364472	विधायक प्रतिनिधि
05	श्री बी.एल. खूटे पिता श्री दरश राम	सदस्य	एम.क्यू.1064, प्रगतिनगर दीपका कोरबा छ.ग. मो. - 9425537083	एसईसीएल कर्मचारी
06	श्री जी.आर. निर्मलकर पिता श्री गोविन्द राम	सदस्य	हरदीबाजार कॉलेज चौक के पास मो. - 9926941489	प्राचार्य, हाईस्कूल झाबर , दीपका
07	श्री मिलाप सिंह कंवर पिता श्री भवरसिंह	सदस्य	ग्राम- झाबर, दीपका कोरबा छ.ग. मो. - 7828181863	सरपंच ग्राम पंचायत झाबर, दीपका
08	श्रीमती विनीता डिक्सेना पति श्री बसंत राम	सदस्य	एम.-573,दीपका कॉलोनी, कोरबा छ.ग. मो. - 9827476530	गृहणी
09	श्री महेन्द्र सिंह राजपूत पिता श्री कपिल देव सिंह	सदस्य	ज्योति नगर पाली रोड दीपका मो. - 9826162260	व्यवसायी
10	श्रीमती उषादेवी शर्मा पति श्री कृष्ण कुमार	सदस्य	म.न.-282 ज्योति नगर दीपका मो. - 8109719707	गृहणी
11	श्री एस. के. ताम्ब्रे पिता स्व श्री तुलाराम	सदस्य	शासकीय महाविद्यालय दीपका मो. - 9993583610	सहा. प्रा. (रसायन शास्त्र)
12	श्री एम.के. यादव पिता श्री कार्तिक राम	सदस्य	शासकीय महाविद्यालय दीपका मो. - 9303360781	सहा. प्रा. (वाणिज्य)
13	श्री जयचंद देवांगन पिता श्री भरत लाल	सदस्य	शासकीय महाविद्यालय दीपका मो. - 9981134383	सहा. प्रा. (भौतिक शास्त्र)

11 - प्रवेश समिति : 2018 - 2019

समस्त संकायों के स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के छात्र - छात्राओं के प्रवेश हेतु सभी प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी, चयन सूची एवं प्रवेश प्रक्रिया, परिचय पत्र संबंधी कार्यों के लिए निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है। समिति प्रवेश मार्गदर्शिका के अनुसार प्रवेशकार्य करेंगे।

सभी संकायों के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में प्रवेश हेतु :-

बी.ए.-	1.	डॉ. डेजी कुजूर	-	संयोजक
	2.	श्रीमती ममता ठाकुर	-	सदस्य
बी.कॉम-	1.	श्रीमती ममता ठाकुर	-	संयोजक
	2.	डॉ. डेजी कुजूर	-	सदस्य
बी.एस.सी. (बायो)	1.	श्री जे.सी. देवांगन	-	संयोजक
बी.एस.सी.(गणित)	1.	श्री रमाकांत चौहान	-	संयोजक

प्रवेश संबंधी जानकारियाँ :-

01 - महाविद्यालय में प्रवेश उच्च विभाग छ. ग. शासन एवं बिलासपुर वि.वि. बिलासपुर के नियमानुसार किया जाएगा।

02 - स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विवरणिका एवं प्रवेश आवेदन पत्र की बिक्री 01 जून 2018 से प्रारम्भ होगी।

03 - स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून 2018 तक कार्यालयीन समय में लिये जायेंगें। पर्याप्त आवेदन प्राप्त नही होने की स्थिति में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि में वृध्दि की जा सकती हैं।

04 - प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु चयनित छात्र-छात्राओं को प्रवेश समिति के द्वारा जारी चयन सूची के अनुसार ही निर्धारित तिथि तक प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।

05 - स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में प्रवेश उनके पूर्व परीक्षा के परिणाम घोषित होने के 15 दिवस अथवा अंकसूची प्राप्त होने के 10 दिवस के भीतर प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। इस महाविद्यालय के नियमित उत्तीर्ण एवं पूरक छात्र/छात्राओं का प्रवेश समिति के माध्यम से सीधे प्रवेश लिया जावेगा। स्वाध्यायी एवं अन्य आवेदको से प्राप्त आवेदन पत्रो पर प्रवेश समिति सीट उपलब्ध होने पर ही प्रवेश सुनिश्चित करेगी।

06 - सभी कक्षाओ एवं पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु शासन द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि -

(1) प्राचार्य की अनुमति से - 15 जुलाई 2018 तक

(2) माननीय कुलपति महोदय की अनुमति से - 31 जुलाई 2018 तक

12. Help Desk

छात्र - छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण मोबाईल / फोन नम्बर

नाम	नम्बर	नाम	नम्बर
शास. महा. दीपका	8962464576 (प्राचार्य)	पोलिस थाना (कोरबा)	07759-221800
शास. ई. वी. पी. जी. महा. कोरबा	07759-221458	पोलिस थाना (दीपका)	07815-275776
शास. मिनीमाता महा. कोरबा	07759-223722	पोलिस थाना (कटघोरा)	07815-250331
शास. मुकुटधर महा. कटघोरा	07815-250371	नेहरू शताब्दी हास्पीटल, दीपका	07815-26073
शास.ग्राम्य भारती महा. हरदीबाजार	07815-203206	मुख्य अस्पताल, कोरबा	07759-22676738
शास. स्ना. महा. बिलासपुर	07752-240988	बिलासा ब्लड बैंक, कोरबा	07759-644655
शास. बिलासा गर्ल्स महा. बिलासपुर	07752-224249	एम्बुलेंस	108
बिलासपुर वि.वि. बिलासपुर	07752-212314	महतारी एक्सप्रेस	102
गुरुघासीदास वि.वि. बिलासपुर	07752-260353	इन्फ्लीबनेट	7923268243
पं.सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) महा.बिलासपुर	07752-645346	शास. महा. दीपका (N.S.S. Off.)	9303360781
कुसाभाऊ ठाकरे जनपत्रकारिता वि.वि. रायपुर	0771-6499187	शास. महा. दीपका (महिला सेल)	9406222869
		शास. महा. दीपका (कार्यालय)	(1) 9691071784
व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर	0771-4019274		(2) 8817969896
वि.वि. अनुदान आयोग, दिल्ली	0755-2467418(भोपाल)		(3) 9977534397
रेल्वे पूछताछ (कोरबा)	07759-221600	रेडक्रास सोसायटी	9827176112
नगर निगम फायर ब्रिगेड, कोरबा	9993594248		

छात्र - छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण वेबसाईट

शास. महा. दीपका	www.governmentcollegedipka.com
शास. ई.वी.पी.जी. महा. कोरबा	www.gevpgkrb.ac.in
शास. मिनीमाता कोरबा	www.mmggckorba.in
शास. मुकुटधर महा. कटघोरा	www.panditmukutdharpandey.in
शास. स्ना. महा. बिलासपुर	www.sciencecollegebilaspur.ac.in
शास. बिलासा गर्ल्स महा. बिलासपुर	www.bilasagirlscollege.ac.in
बिलासपुर वि.वि. बिलासपुर	www.bilaspuruniversity.ac.in
वि.वि. अनुदान आयोग	www.ugc.ac.in
व्यवसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर	www.cgvyapam.gov.in
पं.सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) वि.वि. बिलासपुर	www.pssou.ac.in
कुसाभाऊ ठाकरे जनपत्रकारिता वि.वि. रायपुर	www.ktujm.ac.in
ऑन लाईन एडमिशन	www.slcm.cgstate.gov.in

व्यसन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ।

DO'S AND DONT'S

Do's	Dont's
1. कक्षा में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।	1. बिना परिचय पत्र के परिसर में प्रवेश प्रतिबंधित है।
2. सभी आंतरिक परीक्षाओं में उपस्थिति अनिवार्य है।	2. मोबाईल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है।
3. छात्र-छात्राएँ महाविद्यालय को स्वच्छ रखने में सहयोग करेंगे।	3. रैगिंग पूर्णतया प्रतिबंधित है।
4. महाविद्यालय में छात्र-छात्राएँ शालीन वस्त्र पहनकर आयेंगे।	4. छात्र-संघ चुनाव के दौरान दीवारों पर कुछ भी लिखना/चिपकाना सर्वथा निषिद्ध है।
5. कक्षा में शालीन व्यवहार करेंगे।	5. महाविद्यालय की सम्पत्ति को नुकसान पहुँचालना अनुशासनहीनता मानी जावेगी।
6. शनिवार को होने वाली क्लब एक्टिविटि / हॉबी में भाग लेना अनिवार्य है।	6. महाविद्यालय के अधिकारी/कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार अनुशासन हीनता मानी जावेगी।
7. अकादमिक कैलेण्डर के अनुसार सभी शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक क्रिया - कलाप में भाग लेना होगा।	7. कोई भी छात्र/छात्रा ऐसा कृत्य नहीं करेंगे जिससे महाविद्यालय की गरिमा धूमिल हो।
8. प्रत्येक छात्र को प्रदत्त व्यक्तिगत फोल्डर पूर्ण रूपेण भरकर संबंधित प्राध्यापक के पास जमा करना अनिवार्य होगा।	8. परीक्षाओं में अनुचित साधन का प्रयोग सर्वथा वर्जित होगा।
9. छात्र-छात्राएँ अपने वाहन हमेशा स्टैण्ड/निर्धारित स्थल में ही रखेंगे।	9. छात्र-छात्राएँ अपने गैर महाविद्यालयीन मित्रों को महाविद्यालय में साथ न लावें।

मनुष्य का वास्तविक पूँजी धन नहीं, विचार है।

शासकीय महाविद्यालय, दीपका

₹ 100/-

जिला - कोरबा

प्रवेश आवेदन पत्र सत्र - 2018-19 फार्म संख्या ....

A आवेदक की आवश्यक जानकारी

- प्रवेश हेतु संकाय ....
- प्रवेश हेतु कक्षा ....
- प्रवेश हेतु चयनित विषय 1. .... 2. .... 3. .... 4. ....
- पिछली कक्षा का परिणाम

प्राप्तांक	पूर्णांक	प्रतिशत	उत्तीर्ण होने का वर्ष

- पिछली कक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद यदि गेप (वर्ष अंतराल) हुआ हो तो विवरण दें ....
- श्रेणी (सामान्य/अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./विकलांग/स्व.सं. सेनानी/अन्य) ....
- धर्म (हिन्दू/मुस्लिम/सिक्ख/इसाई/जैन/पारसी/बौद्ध/अन्य) ....जाति -...........................

B व्यक्तिगत जानकारी

- व्यक्तिगत विवरण : पुरूष ☐ महिला ☐ तृतीय लिंग ☐
- आवेदक का नाम (हिन्दी में)..
- आवेदक का नाम (अंग्रेजी में) ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
- जन्मतिथि .... ब्लड ग्रुप ....

  मोबाईल नं. ....
- पिता का नाम ....

  मोबाईल नं. ....
- माता का नाम ....
- पता (पत्राचार)..
- स्थायी पता..

नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो 02 (नाम एवं दिनाँक सहित) एक यहाँ चिपकाए दूसरा अलग से संलग्न करें

C शैक्षणिक जानकारी

स.क्र.	कक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	संस्था का नाम	प्राप्तांक/ पूर्णांक	प्रतिशत	मुख्य विषय
1.	दसवीं					
2.	बारहवीं					
3.	स्नातक प्रथम					
4.	स्नातक द्वितीय					
5.	स्नातक तृतीय					
6.	स्नातकोत्तर पूर्व					

D अन्य जानकारी

- किसी शासकीय/अशासकीय संस्थान में कार्यरत हैं तो विवरण दें, यदि हाँ तो प्रवेश के दौरान नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र दें -.............
- क्या आवेदक छ.ग. शासन में सेवारत तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी की संतान हैं ? यदि हाँ तो प्रमाण पत्र सहित विवरण दें - ....
- क्या आवेदक इसके पूर्व सत्र में इस संस्था या अन्य किसी संस्था से निष्कासित किया गया था ? यदि हाँ तो विवरण दें - ....
- क्या आवेदक के ऊपर अपराधिक न्यायलयीन प्रकरण लंबित है ? यदि हाँ तो विवरण दें । ....
- क्या आवेदक पिछले सत्र में बार्ड/वि.वि. में किसी नकल प्रकरण में दोषी पाया गया ? यदि हाँ तो विवरण दें - ....

E आवेदक द्वारा प्रतिज्ञा

मैं महाविद्यालय के नियमों, व्यवस्थाओं व आचरण संहिता का अध्ययन कर लिया है तथा प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि मैं अध्ययनरत् रहकर अपने कर्तव्यों तथा महाविद्यालय के नियमों एवं व्यवस्थाओं का पालन करता रहूँगा/करती रहूँगी तथा महाविद्यालय में अथवा बाहर एवं परीक्षाओं में किसी व्यवस्था या अनुशासनहीनता एवं हिंसात्मक कार्यवाही में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भाग नहीं लूंगा/लूंगी । मैं प्रत्येक मामले में प्राचार्य महोदय के निर्णयों का पालन करूँगा/करूँगी । मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं है और न ही असत्य जानकारी दी है । उपरोक्त प्रतिज्ञा के उल्लंघन करने की स्थिति में प्राचार्य को पूर्ण अधिकार होगा कि वे मुझे दंडित कर सकते हैं तथा निष्कासित भी कर सकते हैं जिसकी पूर्व सूचना मुझे या मेरे पालक को देना आवश्यक नहीं है । यदि मैं महाविद्यालय में रेगिंग में लिप्त पाया गया/पाई गई तो मुझे महाविद्यालय से निष्कासित किया जावे ।

दिनांक : ....   पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर   आवेदक के हस्ताक्षर

F प्रतिज्ञा पत्र (केवल पूरक छात्रों के लिये)

मैं .... पुत्र/पुत्री श्री .... इस महाविद्यालय की कक्षा .... में अस्थायी रूप से प्रवेश लेने हेतु आवेदन करता हूँ क्योंकि कक्षा .... में .... विषय में मुझे पूरक परीक्षार्थी घोषित किया गया है।

यदि आगामी पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता हूँ तो मेरा नाम अस्थायी रूप से प्रवेश दी गई कक्षा से मेरा अस्थायी प्रवेश रद्द किया जावे और प्रवेश हेतु मैंने जो शुल्क जमा किया है वह महाविद्यालय द्वारा जब्त करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी ।

G प्रवेश प्रभारी की अनुशंसा

1. आवेदक को कक्षा .... में विषय .... के साथ प्रवेश की अनुशंसा की जाती है।
2. आवेदक को वर्ग (SC / ST/OBC/सामान्य/विकलाँग/स्व.संग्राम) के अन्तर्गत प्रवेश की अनुशंसा की जाती है।

प्रवेश प्रभारी   हस्ताक्षर

H कार्यालयीन प्रयोग हेतु

शुल्क विवरण

कक्षा .... क्रमाँक .... प्रवेश दिनाँक ....

में प्रवेश उपरांत निम्न शुल्क प्राप्त हुआ -	राशि	रसीद नं.	पृष्ठ क्र. ....
शासकीय शुल्क रू.	....	....	....
अशासकीय शुल्क रू.	....	....	....
जनभागीदारी शुल्क रू.	....	....	....
अन्य शुल्क रू.	....	....	....

दिनाँक ....

हस्ताक्षर शुल्क प्राप्तकर्ता

छात्रसंघ शपथ ग्रहण समारोह

यूथ स्पार्क - हितेश कुमार शैडो कलेक्टर, जिला-कोरिया

शैक्षणिक भ्रमण

रा.से.यो. एवं रेडक्रास द्वारा आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम

योगाभ्यास करते महाविद्यालयीन परिवार

वार्षिक खेल प्रतियोगिता में सम्मिलित खिलाड़ी

विश्व एड्स दिवस पर जागरूकता रैली

शासकीय महाविद्यालय दीपका
जिला - कोरबा

Vision

- उच्च शिक्षा एवं नैतिक मूल्यों के साथ व्यक्तित्व का विकास ।

Mission

- विद्यार्थियों के शैक्षणिक एवं व्यक्तित्व विकास हेतु कार्यक्रम तैयार करना ।
- विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों के द्वारा छात्र-छात्राओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना ।
- वर्तमान परिप्रेक्ष्य में छात्र-छात्राओं के लिए रोजगारोन्मुखी शिक्षा सुनिश्चित करना ।

₹ 100/-